

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 824

Dated: 06/01/2017

Page No. (vi) of Table of Contents (Reprint of Fourth Edition)

Change the nomenclature of Major Head '3602' from 'Grants-in-aid to Union Territory Governments' to 'Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature'.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 825

Dated: 06/01/2017

Page No. (xi) of Table of Contents (Reprint of Fourth Edition)

Change the nomenclature of Major Head '7602' from 'Loans and Advances to Union Territory Governments' to 'Loans and Advances to Union Territory Governments with Legislature'.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 826

Dated: 06/01/2017


Page No. (xv) of Table of Contents (Reprint of Fourth Edition)

Amend the Note (2) below para 3 as follows:

*Note-2:- Details of each **Scheme/Project/Programme, etc.** as the case may be, shall be indicated at the sub-head level below the standard minor head 'Training'. Likewise, at the detailed head and object head levels, details of sub-schemes or activities and object of expenditure shall be indicated **respectively**. In this schematic arrangement, care should be taken to avoid double provisioning/budgeting and accounting of training expenditure – both under standard minor head 'Training' as well as establishment oriented minor heads such as 'Direction and Administration, etc.'*

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 827

Dated: 06/01/2017

Page No. 225 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 3601 Grants-in-aid to State Governments

- (i) Insert the following Sub-Major, Minor Heads below the existing Sub-Major Head '05 Grants for Special Plan Schemes' :

Sub-Major Head: 06 Centrally Sponsored Schemes

Minor Head: 101 Central Assistance/Share

102 Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes

103 Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution

104 Grants from Central Road Fund

Sub-Major Head: 07 Finance Commission Grants

Minor Head: 101 Post Devolution revenue Deficit Grant

102 Grants for Rural Local Bodies

103 Grants for Urban Local Bodies

104 Grants in aid for State Disaster Response Fund

Sub-Major Head: 08 Other Transfer/Grants to States

Minor Head: 101 Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule VI of the Constitution

102 Central Pool of Resources for North East Region

103 Schemes of North Eastern Council

104 Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution

105 Grants as advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (2)

106 Grants towards Contribution to National Disaster Response Fund (NDRF)

107 Grants in lieu of Tax on Railway Passenger Fares

108 Grants from Central Road Fund

109 Grants in lieu of pension contribution

110 Grants to cover gap in resources

111 Special Assistance

(ii) Amend the footnote (1) & (2) as follows :


- (1) Minor Heads corresponding to Major/Sub-Major Heads and programme Minor Heads under 'Expenditure Heads(Revenue Section)' to which the assistance can be related may be opened under these Sub-Major Heads **(See para 3.9 of General Direction to the LMMHA).**
- (2) Grants as **advance Assistance** for drought relief will be adjusted under a distinct Sub-head 'Drought Relief'.

(iii) Insert following footnote (5) below this Major Head

(5) Sub-Major Heads '01 Non-Plan Grants', '02 Grants for State Plan Schemes', '03 Grants for Central Plan Scheme', '04 Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes', '05 Grants for Special Plan Schemes' and Minor Heads thereunder will not be operational for fresh transactions w.e.f. 01-04-2017.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 828

Dated: 06/01/2017

Page No. 227 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments

(i) Change the Nomenclature of this Major Head as follows :

Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature

(ii) Insert the following Sub-Major, Minor Heads below the existing Sub-Major Head '05 Grants for Special Plan Schemes' :

Sub-Major Head: 06 Centrally Sponsored Schemes

Minor Head: 101 Central Assistance/Share

102 Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes

Sub-Major Head: 07 Finance Commission Grants

Sub-Major Head: 08 Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures

Minor Head: 101 Schemes of North Eastern Council

102 Grants to meet Revenue Deficit

103 Grants as advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (2)

104 Special Assistance

(iii) Insert following footnote (4) below this Major Head :

(4) Sub-Major Heads '01 Non-Plan Grants', '02 Grants for Union Territory Plan Schemes', '03 Grants for Central Plan Scheme', '04 Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes', '05 Grants for Special Plan Schemes' and Minor Heads thereunder will not be operational for fresh transactions w.e.f. 01-04-2017.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 829

Dated: 06/01/2017

Page No. 77 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 1601-Grants-in-aid from Central Government

- (i) Insert the following Sub-Major, Minor Heads below the existing Sub-Major Head '05 Grants for Special Plan Schemes' :

Sub-Major Head: 06 Centrally Sponsored Schemes

Minor Head: 101 Central Assistance/Share

102 Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes

103 Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution

104 Grants from Central Road Fund

Sub-Major Head: 07 Finance Commission Grants

Minor Head: 101 Post Devolution revenue Deficit Grant

102 Grants for Rural Local Bodies

103 Grants for Urban Local Bodies

104 Grants in aid for State Disaster Response Fund

Sub-Major Head: 08 Other Transfer/Grants to States/Union Territories with Legislatures

Minor Head: 101 Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule VI of the Constitution

102 Central Pool of Resources for North East Region

103 Schemes of North Eastern Council

104 Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution

105 Grants as advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (2)

106 Grants towards Contribution to National Disaster Response Fund (NDRF)

107 Grants in lieu of Tax on Railway Passenger Fares

108 Grants from Central Road Fund

109 Grants in lieu of pension contribution

110 Grants to cover gap in resources

111 Grants to meet Revenue Deficit (1)

112 Grants against External Assistance received in kind


113 Special Assistance

- (ii) Amend the footnote (2) as follows:
- (2) Grants as **advance Assistance** for drought relief will be adjusted under a distinct Sub-head 'Drought Relief'.
- (ii) Insert following footnote (3) below this Major Head .

(3) Sub-Major Heads '01 Non-Plan Grants', '02 Grants for State/Union Territory Plan Schemes', '03 Grants for Central Plan Scheme', '04 Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes', '05 Grants for Special Plan Schemes' and Minor Heads thereunder will not be operational for fresh transactions w.e.f. 01-04-2017.

(Effective from 2017-18)

— (Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 830

Dated: 06/01/2017

Page No. 351 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 7601 Loans and Advances to State Governments

- (i) Insert the following Sub-Major, Minor Heads below the existing Sub-Major Head '07 Pre-1984-85 Loans' :

Sub-Major Head: 08 Centrally Sponsored Schemes

**Minor Head: 101 Loans to cover gap in resources
201 House Building Advances**

Sub-Major Head: 09 Other Loans to States

**Minor Head: 101 Block Loans
102 Schemes of North Eastern Council
103 Loans as Advance Assistance for relief on account of
Natural Calamities (8)
104 External Assistance received in kind
105 Development of Border Areas
106 Special Assistance
800 Other Loans**

- (ii) Amend the footnote (8) as follows:

(8) Loans as advance Assistance for drought relief will be adjusted under a distinct Sub-head 'Drought Relief'.


- (iii) Delete the footnotes (1) to (7).

- (iv) Insert following footnote (9) below this Major Head

(9) Sub-Major Heads '01 Loans for Non-Plan Schemes', '02 Loans for State Plan Schemes', '03 Loans for Central Plan Scheme', '04 Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes', '05 Loans for Special Plan Schemes', '06 Ways and Means Advances', '07 Pre-1984-85 Loans' and Minor Heads thereunder will not be operational for fresh transactions w.e.f. 01-04-2017.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)


(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 831

Dated: 06/01/2017

Page No. 353 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 7602 Loans and Advances to Union Territory Governments

(i) Change the Nomenclature of this Major Head as follows :

Loans and Advances to Union Territory Governments with Legislature

(ii) Insert the following Sub-Major, Minor Heads below the existing Sub-Major Head '05 Loans for Special Plan Schemes' :

Sub-Major Head: 06 Centrally Sponsored Schemes

Minor Head: 101 Loans to cover gap in resources

Sub-Major Head: 07 Other Loans to Union Territory (with Legislature) Schemes

Minor Head 101 Block Loans

102 Schemes of North Eastern Council

103 Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (1)

104 External Assistance received in kind

105 Development of Border Areas

106 Special Assistance


800 Other Loans

(iii) Insert following footnote (2) below this Major Head

(2) Sub-Major Heads '01 Loans for Non-Plan Schemes', '02 Loans for Union Territory Plan Schemes', '03 Loans for Central Plan Scheme', '04 Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes', '05 Loans for Special Plan Schemes', and Minor Heads thereunder will not be operational for fresh transactions w.e.f. 01-04-2017.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)


(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 832

Dated: 06/01/2017

Page No. 310 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 6004 Loans and Advances from the Central Government

- (i) Insert the following Sub-Major, Minor Heads below the existing Sub-Major Head '07 Pre 1984-85 Loans' :

Sub-Major Head: 08 Centrally Sponsored Schemes

Minor Head: 101 Loans to cover gap in resources

201 House Building Advances

**Sub-Major Head: 09 Other Loans for States/Union Territory with
Legislature Schemes**

Minor Head: 101 Block Loans

102 Schemes of North Eastern Council

**103 Loans as Advance Assistance for relief on account of
Natural Calamities (6)**

104 External Assistance received in kind

105 Development of Border Areas

106 Special Assistance

800 Other Loans

- (ii) Insert following footnotes (10) & (11) below this Major Head :

(10) Sub-Major Heads '01 Non-Plan Loans', '02 Loans for State/Union Territory Plan Schemes', '03 Loans for Central Plan Scheme', '04 Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes', '05 Loans for Special Schemes' '06 Ways and Means Advances', '07-Pre 1984-85 Loans' and Minor Heads thereunder will not be operational for fresh transactions w.e.f. 01-04-2017.

(11) Delete the footnotes (1) to (5) and (7) to (9).

- (iii) Amend the footnote (6) as follows:

(6) Loans as **advanced assistance** for drought relief will be adjusted under distinct sub-head Drought-Relief.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)

(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 833

Dated: 06/01/2017

Page No. 100 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 2049 Interest Payments

Sub-Major Head: 04 Interest on Loans and Advances from Central Government

- (i) Insert the following Minor Heads below the existing Minor Head '109- Interest on State Plan Loans Consolidated in terms of recommendations of the 12th Finance Commission' (inserted vide CS 591 dated 11-07-2006) :

Minor Head: 110 Interest on Loans under Centrally Sponsored Schemes

111 Interest on Loans for Special Assistance

112 Interest on other Loans for State/Union Territory (with Legislature) Schemes

- (ii) Insert following footnote (15) below this Major Head

(15) Minor Heads '101' to '109' under Sub-Major Head '04-Interest on Loans and Advances from Central Government' will continue to operate till earlier loans are fully repaid.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No: 834

Dated: 06/01/2017

Page No. 21 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 0049 Interest Receipts

Sub-Major Head: *01 Interest from State Governments*

- (i) Insert the following Minor Heads below the existing Minor Head '109-Interest on State Plan Loans Consolidated in terms of recommendations of the 12th Finance Commission' (inserted vide CS 581 dated 01-05-2006) :

Minor Head: 110 Interest on Loans under Centrally Sponsored Schemes

111 Interest on Loans for Special Assistance

112 Interest on other Loans from State

Sub-Major Head: *02 Interest from Union Territory Governments*

- (ii) **Change the Sub-Major Head nomenclature as "02 Interest from Union Territory Governments with Legislatures"**

- (iii) Insert the following Minor Heads below the existing Minor Head '105-Interest on Loans for Special Plan Schemes':

Minor Head: 106 Interest on Loans under Centrally Sponsored Schemes

107 Interest on Loans for Special Assistance

108 Interest on other Loans from Union Territory (with Legislature) Schemes

Sub-Major Head '04-Interest Receipts of State/Union Territory Governments'

- (iv) **Change the Sub-Major head nomenclature as '04-Interest Receipts of State/Union Territory Governments with Legislature'**

- (v) **Change the footnote (1) as follows:**


This will include interest portion of equated payment on account of recovery of capitalized value of Sterling pensions from State Governments and U.T. Governments with Legislature. See also Note (1) below "4075-Capital outlay on Miscellaneous General Services".

(vi) Insert following footnote (10) below this Major Head :

(10) Minor Heads '101' to '109' under Sub-Major Head '01-Interest from State Governments' and Minor Heads '101' to '105' under Sub-Major Head '02-Interest from Union Territory Governments with Legislatures' will continue to operate till earlier loans are fully repaid.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/20/2016/Plan & Non-Plan Merger/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 824
दिनांक: 06/01/2017

विषय सूची का पृष्ठ संख्या (vi) (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष '3602' की नामावली को 'संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान' से बदलकर 'विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान' करें।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/20/2016 योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची


शुद्धि पर्ची संख्या: 825
दिनांक: 06/01/2017

विषय सूची का पृष्ठ संख्या (xi) (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: '7602' की नामावली को 'संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज तथा उधार'
से बदलकर 'विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज तथा उधार' करें।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/20/2016 योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड)



(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 826

दिनांक: 06/01/2017

विषय सूची का पृष्ठ संख्या (xv) (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

पैरा 3 के नीचे टिप्पणी (2) को निम्नानुसार संशोधित करें:

'प्रत्येक स्कीम/परियोजना/कार्यक्रम, आदि के ब्योरे को, जैसा भी मामला हो, मानक लघु शीर्ष 'प्रशिक्षण' के नीचे उप शीर्ष स्तर पर दर्शाया जाए। इसी प्रकार, ब्योरेवार शीर्ष और वस्तुगत शीर्ष स्तरों पर, उप स्कीमों या कार्यकलापों के ब्योरे तथा व्यय का उद्देश्य क्रमशः दर्शाया जाए। इस योजनाबद्ध व्यवस्था में, मानक लघु शीर्ष 'प्रशिक्षण' और साथ ही 'निदेशन और प्रशासन, आदि' जैसे स्थापना अभिमुखी लघु शीर्षों के दोहरे प्रावधानीकरण/बजटीकरण और प्रशिक्षण व्यय के लेखाकरण - दोनों से बचने का ध्यान रखा जाए।'

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/20/2016 योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 827

दिनांक: 06/01/2017

पृष्ठ संख्या: 225 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान

- (i) निम्नलिखित उप-शीर्ष लघु शीर्षों को मौजूदा उप-मुख्य शीर्ष '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान' के नीचे अंतःस्थापित करें:

उप-मुख्य शीर्ष: 06 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों

लघु शीर्ष: 101 केन्द्रीय सहायता/भाग

102 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं - केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान

103 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान

104 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान

उप मुख्य शीर्ष: 07 वित्त आयोग अनुदान

लघु शीर्ष: 101 अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान

102 ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

103 शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

104 राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान

उप मुख्य शीर्ष: 08 राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान

लघु शीर्ष: 101 संविधान की अनुसूची VI के अधीन अन्तर्निहित स्वायत्त परिषद क्षेत्रों को अनुदान

102 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल

103 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों

104 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के पन्तुक के अधीन अनुदान

- 105 प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत संबंधी अग्रिम सहायता के रूप में अनुदान (2)
- 106 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) को अंशदान के लिए अनुदान
- 107 रेल यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदान
- 108 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान
- 109 पेंशन अंशदान के बदले में अनुदान
- 110 संसाधनों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान
- 111 विशेष सहायता

(ii) पाद टिप्पणी (1) और (2) में निम्नानुसार संशोधन करें:

- (1) मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष तथा व्यय शीर्ष (राजस्व अनुभाग) जिससे सहायता संबद्ध हो सकती है, के अधीन कार्यक्रम लघु शीर्ष के अनुरूपी लघु शीर्ष इन उप-मुख्य शीर्षों के अधीन खोले जा सकते हैं।

(मुख्य तथा लघु और शीर्षों की सूची के सामान्य निदेश का पैरा 3.9 देखें)


- (2) सूखा राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में अनुदान पृथक उप-शीर्ष "सूखा राहत" के अंतर्गत समायोजित किए जाएंगे।

(iii) इस मुख्य शीर्ष के नीचे निम्नलिखित पाद टिप्पणी (5) अंतः स्थापित करें

(4) उप-मुख्य शीर्ष '01 योजनेतर अनुदान', '02 संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान', '03 केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान', '04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान', '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान' और उनके अंतर्गत लघु शीर्षों का उपयोग 01-04-2017 से नए लेनदेनों के लिए नहीं किया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/20/2016 योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड)



(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 828

दिनांक: 06/01/2017

पृष्ठ संख्या : 227 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान

(i) इस मुख्य शीर्ष की नामावली को निम्नानुसार बदले:

विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान

(ii) निम्नलिखित उप मुख्य, लघु शीर्षों को मौजूदा उप मुख्य शीर्ष '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान' के नीचे अंतःस्थापित करें:

उप-मुख्य शीर्ष: 06 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों

लघु शीर्ष: 101 केन्द्रीय सहायता/भाग

102 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं - केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान

उप मुख्य शीर्ष: 07 वित्त आयोग अनुदान

उप मुख्य शीर्ष: 08 विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान

लघु शीर्ष: 101 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों

102 राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान

103 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में अनुदान

104 विशेष सहायता

(iii) इस मुख्य शीर्ष के नीचे निम्नलिखित पाद टिप्पणी (4) अंतःस्थापित करें:

(4) उप-मुख्य शीर्ष '01 योजनेतर अनुदान; '02 संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान', '03 केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान', '04 केन्द्रीय रूप

से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान', '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान' और उनके अंतर्गत लघु शीर्षों का उपयोग 01-04-2017 से नए लेनदेनों के लिए नहीं किया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/20/2016 योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 829

दिनांक: 06/01/2017

पृष्ठ संख्या: 77 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 1601 केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान

- (i) निम्नलिखित उप मुख्य, लघु शीर्षों को मौजूदा उप-मुख्य शीर्ष '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान' के नीचे अंतः स्थापित करें:

उप-मुख्य शीर्ष: 06 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों

- लघु शीर्ष: 101 केन्द्रीय सहायता/भाग
102 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं - केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान
103 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अधीन अनुदान
104 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान

उप मुख्य शीर्ष: 07 वित्त आयोग अनुदान

- लघु शीर्ष: 101 अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान
102 ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान
103 शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान
104 राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान

उप मुख्य शीर्ष: 08 राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान

- लघु शीर्ष: 101 संविधान की अनुसूची VI के अधीन अन्तर्निहित स्वायत्त परिषदों और क्षेत्रों को अनुदान
102 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल
103 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों
104 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के पन्तुक के अधीन अनुदान

- 105 प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत संबंधी अग्रिम सहायता के रूप में अनुदान (2)
- 106 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) को अंशदान के लिए अनुदान
- 107 रेल यात्री किरायों पर कर के बदले में अनुदान
- 108 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान
- 109 पेंशन अंशदान के बदले में अनुदान
- 110 ससांधनों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान
- 111 राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान(1)
- 112 वस्तु के रूप में प्राप्त बाह्य सहायता से अनुदान
- 113 विशेष सहायता

(ii) पाद टिप्पणी (2) में निम्नानुसार संशोधन करें:

(2) सूखा राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में अनुदान पृथक उप-शीर्ष "सूखा राहत" के अंतर्गत समायोजित किए जाएंगे।

(iii) इस मुख्य शीर्ष के नीचे निम्नलिखित पाद टिप्पणी (3) अंतः स्थापित करें

(3) उप-मुख्य शीर्ष '01 योजनेतर अनुदान', '02 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए अनुदान', '03 केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान', '04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान', '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान' और उनके अंतर्गत लघु शीर्षों का उपयोग 01-04-2017 से नए लेनदेनों के लिए नहीं किया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/20/2016 योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड)

Vinay Singh

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं. 830
दिनांक: 06/01/2017

पृष्ठ संख्या 351 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 7601 राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार

- (i) निम्नलिखित उप मुख्य, लघु शीर्षों को मौजूदा उप मुख्य शीर्ष '07 1984-85 पूर्व के कर्ज' के नीचे अंतः स्थापित करें:

उप मुख्य शीर्ष : 08 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें

लघु शीर्ष : 101 संसाधनों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज
201 गृह निर्माण अग्रिम

उप मुख्य शीर्ष : 09 राज्यों को अन्य कर्ज

लघु शीर्ष : 101 एकमुश्त कर्ज

102 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें

103 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में कर्ज (8)

104 वस्तु के रूप में प्राप्त बाह्य सहायता

105 सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

106 विशेष सहायता

800 अन्य कर्ज

- (ii) पाद टिप्पणी (8) में निम्नानुसार संशोधन करें:

(8) सूखा राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में दिया गया कर्ज एक अलग उप शीर्ष 'सूखा राहत' के अधीन समायोजित किया जाएगा।

- (iii) पाद टिप्पणी (1) से (7) को हटाएं

- (iv) इस मुख्य शीर्ष के नीचे पाद टिप्पणी (9) अंतः स्थापित करें

(9) उप मुख्य शीर्ष '01 योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज', '02 राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज', '03 केंद्रीय योजना स्कीम के लिए कर्ज', '04 केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज', '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए कर्ज', '06 अर्थोपाय अभियम', '07 1984-85 पूर्व के कर्ज' और उनके अंतर्गत लघु शीर्षों का उपयोग 01-04-2017 से नए लेनदेनों के लिए नहीं किया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/20/2016/योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड)

विनय सिंह

(विनय सिंहल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं. 831
दिनांक: 06/01/2017

पृष्ठ संख्या 353 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 7602 संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को कर्ज तथा उधार

(i) इस मुख्य शीर्ष की नामावली को निम्नानुसार बदलें:

विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज तथा उधार

(ii) निम्नलिखित उप मुख्य, लघु शीर्षों को मौजूदा उप मुख्य शीर्ष '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए कर्ज' के नीचे अंतः स्थापित करें:

उप मुख्य शीर्ष : 06 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें

लघु शीर्ष : 101 संसाधनों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज

उप मुख्य शीर्ष : 07 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) स्कीमों को अन्य कर्ज

लघु शीर्ष : 101 एकमुश्त कर्ज

102 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें

103 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में कर्ज (1)

104 वस्तु के रूप के प्राप्त बाह्य सहायता

105 सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

106 विशेष सहायता

800 अन्य कर्ज

(iii) इस मुख्य शीर्ष के नीचे पाद टिप्पणी (2) अंतः स्थापित करें

(2) उप मुख्य शीर्ष '01 योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज', '02 संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए कर्ज', '03 केंद्रीय योजना स्कीम के लिए कर्ज', '04 केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज', '05 विशेष योजना स्कीमों के लिए कर्ज' और उनके अंतर्गत लघु शीर्षों का उपयोग 01-04-2017 से नए लेनदेनों के लिए नहीं किया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/20/2016/योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं. 832
दिनांक: 06/01/2017

पृष्ठ संख्या 310 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 6004 केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

- (i) निम्नलिखित उप शीर्ष, लघु शीर्षों को मौजूदा उप मुख्य शीर्ष '07 1984-85 पूर्व के कर्ज' के नीचे अंतः स्थापित करें:

उप मुख्य शीर्ष : 08 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें

लघु शीर्ष : 101 संसाधनों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज
201 गृह निर्माण अग्रिम

उप मुख्य शीर्ष : 09 राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज

लघु शीर्ष: 101 एकमुश्त कर्ज

102 पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों

103 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में कर्ज (6)

104 वस्तु के रूप में प्राप्त बाह्य सहायता

105 सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

106 विशेष सहायता

800 अन्य कर्ज

- (ii) निम्नलिखित पाद टिप्पणी (10) और (11) को इस मुख्य शीर्ष के नीचे अंतः स्थापित करें:

(10) उप प्रमुख शीर्ष '01 योजनेतर कर्ज', '02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए कर्ज', '03 केंद्रीय योजना स्कीम के लिए कर्ज', '04 केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज', '05 विशेष स्कीमों के लिए कर्ज', '06 अर्थापय अग्रिम', '07 1984-85 पूर्व के कर्ज' तथा इसके अंतर्गत लघु शीर्षों का उपयोग 01-04-2017 से नए लेनदेनों के लिए नहीं किया जाएगा।

(11) पाद टिप्पणियां (1) से (5) और (7) से (9) को हटाएं।

(iii) पाद टिप्पणी (6) में निम्नानुसार संशोधन करें:

(6) सूखा राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में लिए गए कर्ज अलग उप-शीर्ष सूखा राहत के अधीन समायोजित किए जाएंगे।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकारी टी-14018/20/2016/ योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड

विनय सिंहल

(विनय सिंहल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं. 833
दिनांक: 06/01/2017

पृष्ठ संख्या 100 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 2049 ब्याज अदायगियां

उप मुख्य शीर्ष : 04 केंद्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज

- (i) निम्नलिखित लघु शीर्षों को मौजूदा लघु शीर्ष '109 - 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना कर्जों पर ब्याज' के नीचे अंतःस्थापित करें (दिनांक 11-07-2006 की शुद्धि पर्ची संख्या 591 द्वारा अंतःस्थापित):

लघु शीर्ष : 110 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत कर्जों पर ब्याज

111 विशेष सहायता के लिए कर्जों पर ब्याज

112 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) स्कीमों के लिए अन्य कर्जों पर ब्याज

- (ii) निम्नलिखित पाद टिप्पणी (15) को इस मुख्य शीर्ष के नीचे अंतःस्थापित करें

(15) उप मुख्य शीर्ष '04 - केंद्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज' के अंतर्गत लघु शीर्ष '101' से '109' को उपयोग में लाया जाना कर्ज को पूरी तरह से चुकाए जाने तक जारी रहेगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकारी टी-14018/20/2016/ योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं. 834
दिनांक: 06/01/2017

पृष्ठ संख्या 21 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 0049 ब्याज प्राप्तियां

उप मुख्य शीर्ष : 01 राज्य सरकार से ब्याज

- (i) निम्नलिखित लघु शीर्षों को मौजूदा लघु शीर्ष '109 - 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना कर्जों पर ब्याज' के नीचे अंतः स्थापित करें (दिनांक 01-05-2006 की शुद्धि पर्ची संख्या 581 द्वारा अंतः स्थापित):

लघु शीर्ष : 110 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत कर्जों पर ब्याज

111 विशेष सहायता के लिए कर्जों पर ब्याज

112 राज्य से अन्य कर्जों पर ब्याज

उप मुख्य शीर्ष: 02 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज

- (ii) उप मुख्य शीर्ष की नामावली को '02 विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज' के रूप में बदलें

- (iii) निम्नलिखित लघु शीर्षों को मौजूदा लघु शीर्ष '105 - विशेष योजना स्कीमों के लिए कर्जों पर ब्याज' के नीचे अंतः स्थापित करें:

लघु शीर्ष : 106 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत कर्जों पर ब्याज

107 विशेष सहायता के लिए कर्जों पर ब्याज

108 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) स्कीमों से अन्य कर्जों पर ब्याज

उप मुख्य शीर्ष '04 - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां

- (iv) उप मुख्य शीर्ष की नामावली को '04 राज्य/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां' के रूप में बदलें।

(v) पाद टिप्पणी (1) को निम्नानुसार बदलें:

(1) इनमें राज्य सरकारों और विधान मंडल वाले संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारी से स्टर्लिंग पेंशनों के पूंजीगत मूल्य की वसूली के कारण समीकृत अदायगी का ब्याज का भाग शामिल होगा। "4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय" के नीचे टिप्पणी (1) भी देखें।

(vi) निम्नलिखित पाद टिप्पणी (10) इस मुख्य शीर्ष के नीचे अंतः स्थापित करें:

(10) उप-मुख्य शीर्ष '01 - राज्य सरकारों से ब्याज' के अंतर्गत लघु शीर्ष '101' से '109' और उप मुख्य शीर्ष '02 - विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज' के अंतर्गत '101' से '105' को उपयोग में लाया जाना कर्ज को पूरी तरह से चुकाए जाने तक जारी रहेगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकारी टी-14018/20/2016/ योजना एवं योजनेतर विलयन/कोड

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)